कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	5.37	169.38	174.75	3.00	196.94	199.94	3.00	196.94	199.94	12.00	201.50	213.50
	पूंजी	***81.35***	*13.71*	*95.06*	*25.00*	*14.00*	*39.00*	*25.00*	*14.00*	*39.00*	*20.00*	*12.00*	*32.00*
	जोड़	**86.72**	**183.09**	**269.81**	**28.00**	**210.94**	**238.94**	**28.00**	**210.94**	**238.94**	**32.00**	**213.50**	**245.50**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	105.21	105.21	...	119.46	119.46	...	122.60	122.60	4.00	125.96	129.96
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
2. संयुक्त स्टाक कंपनी पंजीयक	3475	...	30.53	30.53	...	32.28	32.28	...	33.93	33.93	...	35.41	35.41
3. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	20.74	20.74	...	28.51	28.51	...	25.79	25.79	...	25.84	25.84
4. अन्य व्यय	3475	...	12.90	12.90	...	16.69	16.69	...	14.62	14.62	...	14.29	14.29
	5475	...	11.71	11.71	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
	7475	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...
	जोड़	...	*26.61*	*26.61*	...	*30.69*	*30.69*	...	*28.62*	*28.62*	...	*26.29*	*26.29*
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	5.37	...	5.37	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00
	5475	81.35	...	81.35	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*86.72*	...	*86.72*	*28.00*	...	*28.00*	*28.00*	...	*28.00*	*28.00*	...	*28.00*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**86.72**	**77.88**	**164.60**	**28.00**	**91.48**	**119.48**	**28.00**	**88.34**	**116.34**	**28.00**	**87.54**	**115.54**
कुल जोड़		***86.72***	***183.09***	***269.81***	***28.00***	***210.94***	***238.94***	***28.00***	***210.94***	***238.94***	***32.00***	***213.50***	***245.50***

विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	86.72	...	86.72	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
जोड़		**86.72**	**...**	**86.72**	**28.00**	**...**	**28.00**	**28.00**	**...**	**28.00**	**32.00**	**...**	**32.00**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय का व्यय, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ), प्रादेशित निदेशकों (आरडी) द्वारा आईईपीएफ के तहत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) हेतु ई-

http://indiabudget.nic.in

शासन, ई-शासन परियोजना (एमसीए-21), ओएल ई-ऑक्सन एवं लेखांकन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सामान्य अनुदान एवं शासकीय समापकों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा कंपनी के गतिविधियों के परिसमापन एवं उन्हें बंद करने में ई-शासन के प्रयोग हेतु एक नई योजना आदि का प्रावधान होता है।

2. **कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक एवं कंपनी रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक (आरओसी-सह-ओएल) एवं कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों का व्यय का प्रावधान होता है। उनका मुख्य काम कंपनी अधिनियम, 1956 की उपबंधों के तहत सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों के पंजीयन कार्य, वार्षिक विवरणियों, तुलन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा तथा ऐसी संवीक्षाओं के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाही करना है। आरओसी-सह-ओएल उच्च न्यायालयों से भी संबद्ध हैं तथा आवश्यक परिसमापन वाली कंपनियों के प्रभारी भी होते हैं।

3.01. **शासकीय समापक:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार शासकीय समापक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। शासकीय समापक आवश्यक परिसमापन के तहत कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

3.02. **नोएडा स्थित महानिदेशक कारपोरेट कार्य सहित सभी प्रादेशिक निदेशक:** महानिदेशक, कारपोरेट कार्य एवं पूरे देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच सेतू का कार्य करता है, प्रादेशिक निदेशक अपने क्षेत्राधिकारों में आरओसी-सह-ओएल, कंपनी रजिस्ट्रारों एवं शासकीय समापकों के कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं एवं मार्गनिर्देशन करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** इसमें कंपनी विधि बोर्ड, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण एवं प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण के कार्यालयों के व्यय का प्रावधान है।

5. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) (प्लान-योजना):** सहक्रियाशील ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी एवं समस्या समाधान के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधार एवं विनियमों में मदद करने के लिए एक संपूर्ण थिंक टैंक, क्षमता निर्माण एवं सेवा अदायगी संस्थान एकल स्थान मोड के रूप में कार्य करना।